न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र

उपस्थितिः– **मान वर्धन,** उ0प्र0 न्यायिक सेवा.,

फौजदारी वाद संख्या–233 / 2018 मु0अ0सं0–168 / 2017

राज्य बनाम राजेश भारती व अन्य

धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना–करमा, जनपद सोनभद्र।

<u>–: आरोप :–</u>

मैं, मान वर्धन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र आप अभियुक्त –गण राजेश भारती तथा उषा देवी को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः–

प्रथमः– यहकि दिनांक 07.11.2017 को समय 07.30 बजे बहद स्थान ग्राम सिरविट गनेशपुर, थाना करमा, जनपद सोनभद्र में आप लोगों ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी राजेश कुमार पाल को स्वेच्छया लात मुक्का व चप्पल से मार पीट कर उपहति कारित किया। आप लोगों का यह कृत्य भा0दं0सं0 की धारा–323 के अन्तर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>द्वितीयः</u> यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी को प्रकोपित करने के आशय से उसे गालियां देकर अपमानित किया। आप लोगों का यह कृत्य भा0दं0सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

<u>तृतीयः</u> यहकि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। आप लोगों का यह कृत्य भा0दं0सं0 की धारा–506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 18.05.2018

(मान वर्धन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांकः 18.05.2018

(मान वर्धन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।